


शापथ-पत्र

अवनी कान्त शर्मा नोटरी, अधिवक्ता



मैं, सुमति देवी पति सिकन्दर साहु उम्र 45 वर्ष ग्राम जवाहर नगर गुमला डी.एस.

राड वाड नं. 20 पो. नथाना व जिला गुमला झारखण्ड हलफन बयान करती हूं कि -

यह कि मेरा जमीन मौजा गुमला में है जो कि खरीदगी है।

2. यह कि जमीन का विवरण इस प्रकार है

मौजा गुमला थाना नं. 59 छातान. 430 प्लॉट नं. 954 रकबा 0.04  $\frac{1}{4}$  स. है। 170.01 मी. है।

यह कि मेरे जमीन में किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं है तथा जमीन मेरे दबल स्वकब्जा में है घर नक्शों के अनुरूप ही रहेगा।

4. यह कि गुमला नगर परिषद से क्लोज नं. 427 13 झारखण्ड म्युनिसिपल स्कट 2011 के तहत चौड़ीकरण हेतु 12.56 मीटर जमीन छोड़कर चहार दिवार बनाऊंगा।

सत्यापन-

सुमति देवी

The document is signed by me  
19/6/2020

मैं, सुमति देवी, हल न तसदीक करती हूं कि उपर लिखी कुल बयान मेरी जानकारी व विश्वास त सही सत्य एवं दुरुस्त है। मो. गुमला।

सुमति देवी

मेरे समक्ष सुमति देवी ने शापथ ग्रहण की जिनकी पहचानकर्ता, श्री एन. के. उग्रदार अधी. गुमला ने की है।

क्र. 806 /2020 ई. नोटरी गुमला।

AWANI KANT SHARMA  
(NOTARY)  
Dist. - Gumla



सेवा में,

कार्यपाल पदाधिकारी,

गुमला नगर परिषद, गुमला।

विषय:— भवन निर्माण नक्शा की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में सादर सूचित करना है कि अपने भवन निर्माण से संबंधित ऑनलाइन पद्धति के से माध्यम से आपके विभाग में समर्पित किया गया था जिसका आवेदन संख्या— GUNPC/BP/0003/W20/2020 है।

भवदीय स्तर पर सभी प्रक्रिया के तहत मेरे भवन प्लान को सत्यापन किया जा चुका है। सत्यापन के पश्चात् मेरे द्वारा लेबर शेष की प्रथम किया की राशि ऑनलाइन माध्यम से जमा किया गया है। साथ ही दो अद्द पोस्ट डेटेड चेक भी साईट पर ऑनलाइन अपलोड किया जा चुका है। जिसकी हार्ड कॉपी इस पत्र के साथ गिफ्ट डीड सहित संलग्न कर भवदीय की सेवा में आगे की कारवाई हेतु समर्पित की जा रही है।

अनु:—

आपका विश्वासी

1. Jharkhand Rajya Gramin Bank.  
CIN - 000281
2. Jharkhand Rajya Gramin Bank  
CIN - 000282
3. प्रपत्र - 806/2020।

सुमती देवी  
सुमती देवी

थाना वो जिला गुमला।

## **Gumla Nagar Parishad**

### FORM FOR SANCTION OF BUILDING DEVELOPMENT PERMISSION

#### APPENDIX – 'E' /Bye Laws Clause No. 7.1

From,

The Executive Officer  
Gumla Nagar Parishad

To,

SUMATI DEVI  
C/O SIKANDER SAHU. KARAUNDI. DIST- GUMLA -835207,  
835207

Re:sanction of your building plan case no. **GUNPC/BP/0003/W20/2020** dated **10/2/2020** for grant of license for the **Building Development Permission** in Khesra No.: **954** on RS Plot no.: **954** Situated in Colony/Street: **D S P ROAD** Mohalla/Bazar/Road: **JAWAHARNAGAR**.

Sir,

This is to inform you that your proposal for building plan has been sanctioned by Executive Officer **Gumla Nagar Parishad**, under clause no.427(3) of Jharkhand Municipal Act 2011 with following conditions :

1. You have to pay the balance fee of **RS.1324.5/-**
2. You have to furnish & Deposit a Gift Deed of **12.56** sq.mts. of land as road widening keeping the area of road widening at road level.You will have to construct your boundary wall beyond the road widening area.
3. You have to pay first installment of **RS.9060/-** labour cess @ 1% of the project cost.